(५)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी कामां जिला डीग

इजलाश श्री **सुनील कुमार झिगोनिया** आर0ए0एस उपखण्ड अधिकारी कामा

मुकदमा नं0 32/2022

1–सौरभ गौड पुत्र खैमचन्द जाति ब्राहमण निवासी मकान नं0 1252 सेक्टर 17 फरीदाबाद तहसील व जिला फरीदाबाद (हरियाणा)
2–भारत गौड पुत्र धर्मपाल गौड निवासी मकान नं0 499 सेक्टर 17 फरीदाबाद तहसील व जिला फरीदाबाद (हरियाणा)
3–तरूण गौड पुत्र विजय गौड निवासी मकान नं0 670 सेक्टर 17 फरीदाबाद तहसील व जिला फरीदाबाद (हरियाणा)
4–भवीश गौड पुत्र जग्गीराम जाति ब्राहमण निवासी मकान नं0 641 सेक्टर 17 फरीदाबाद तहसील व जिला फरीदाबाद (हरियाणा)
5–नरेन्द्र कुमार पुत्र शेरसिंह जाति ब्राहमण निवासी मकान नं0 502 सेक्टर 17 फरीदाबाद तहसील व जिला फरीदाबाद (हरियाणा

प्रार्थीगण

बनाम

1– पांची पत्नि जसमत उर्फ जस्सो जाति गूर्जर निवासी घाटा तहसील कामां जिला डीग
2–सतवीर पुत्र जसमत उर्फ जस्सो जाति गूर्जर निवासी घाटा तहसील कामां जिला डीग
3–बतुल पुत्री जसमत उर्फ जस्सो जाति गूर्जर निवासी घाटा तहसील कामां जिला डीग
4–गुड्डी पुत्री जसमत उर्फ जस्सो जाति गूर्जर निवासी घाटा तहसील कामां जिला डीग

अप्रार्थीगण

उपस्थित अधिवक्ता
1– श्री बृजलाल शर्मा प्रार्थी अधिवक्ता
2– श्री देवेन्द्र सिंह अप्रार्थी अप्रार्थी अधिवक्ता

अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय

दिनांक 18.03.2024

प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा एक प्रार्थना अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया कि आराजी नम्बर 214/0.18, 222/2.18 कुल किता 2 रकवा 2.36 हैक्टर वाके ग्राम पल्ला तहसील कामां में स्थित है । हाल खसरा नम्बर 214/0.185, 222/2.18 पूर्व के साविक आराजी खसरा नम्बर 180/2.36 हैक्टर के रकवा से बनाये गये है । जिसमें पिता व पति अप्रार्थीगण जसमत उर्फ जस्सो 1/2 हिस्सा का रिकार्डेड खातेदार काश्तकार काबिज चला आ रहा था । जिसे 1/2 हिस्सा पी0एन0बी0 शाखा रहन रखा था । जिसे अप्रार्थीगण ने अपने 1/2 हिस्सा को रहनमुक्त कराकर अपनी खास जरूरत की पूर्ति के उद्देश्य से अपने 1/2 हिस्सा में से 1/3 हिस्सा को वा मुवलिग पांच लाख वियालीस हजार आठ सौ में व 1/6 हिस्सा को दो लाख इकहतर हजार चार सौ रूप्या में प्रार्थीगण को वहिस्सा बराबर बेचान कर दिया । जिसका बयनामा दिनांक 9.12.2011को प्रार्थीगण के पक्ष मे बाहिस्सा कराकर तहरीर कराकर तस्दीक करा दिये । इस प्रकार प्रार्थीगण आराजी मुत0 के 1/2 हिस्सा वहैसियत रिकार्डेड खातेदार काश्तकार काबिज चले आ रहे है । अप्रार्थीगण जसमत उर्फ जस्सो ने राजस्व कर्मचारियो व सम्बन्धित पटवारी हल्का के आराजी मुत0 में से 1/2 हिस्सा के जरिये रजिस्टर्ड बयनामा प्रार्थीगण को बेचान करने के बाद कतई गलत खिलाफ कानून खिलाफ बयनामा जरिये इ0नं0 1068 से प्रतिवादी नं0 6 के रहन कर दिया । जिसके कारण राजस्व कर्मचारियों द्वारा राजस्व रिकार्ड में आराजी मुत0 के 1/2 हिस्सा पर जरिये रजिस्टर्ड बयनामा प्रार्थीगण को वाहिस्सा बराबर खातेदार काश्तकार दर्ज करने के बजाय पहले जसमत उर्फ जस्सो को व उसके गुजर जाने के बाद विरासतन अप्रार्थी संख्या 1, 2, 3, 4 के नाम कतई गलत खिलाफ कानून खिलाफ रजिस्टर्ड बयनामा दर्ज किया जा रहा है । जिसकी जानकारी पटवारी हल्का से नकल जमाबन्दी लेने पर हुई । जिससे प्रार्थीगण को सख्त हक तलफी है विधि वजह प्रार्थीगण जरिये अदालत खसरा नम्बर 214, 222 के 1/2 हिस्सा पर जरिये रजिस्टर्ड बयनामा दिनांक 5.2.11 व 9 12.11 के आधार पर प्रार्थीगण अपने आपको वाहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित करा पाने के अधिकारी है । राजस्व रिकार्ड में रजिस्टर्ड बयनामा के बावजूद पहले जसमत उर्फ जस्सो को व उसके

उपखण्ड अधिकारी
कामां (भरतपुर)

(8)

करने के बाद अप्रार्थीगण 1,2,3,4 को कतई गलत खिलाफ कानून खिलाफ रजिस्टर्ड बयनामा खातेदार दर्ज किया जा रहा है जिसका नाजायज फायदा उठाने की गरज से अप्रार्थीगण आराजी मुत0 के 1/2 हिस्सा को तुरन्त प्रभास से रहनवय मुन्तकिल राजस्व रिकार्ड व मौके की स्थिति में परिवर्तन कराकर प्रार्थीगण को उनके शन्तिपूर्ण कब्जे काश्त से जबरन बेदखल कर नाजायज कब्जा करने के फिराक में है । जिसकी बावत अप्रार्थीगण दिनांक 14.4.2022 को प्रार्थीगण को सरेआम धमकी दी है । यदि अप्रार्थीगण अपने इन इरादों में कामयाब हो गये तो प्रार्थीगण को आराजी मुत0 के 1/2 हिस्सा आराजी के सम्बन्ध में अपूर्णीय क्षति होगी । विधि वजह प्रार्थीगण अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करा पाने के अधिकारी है । राजस्व रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखे एवं प्रार्थीगण को जबरन बेदखल नहीं करें । आराजी मुत0 के सम्बन्ध में ऐसा कोई कार्य नहीं करे जिससे हकूक प्रार्थीगण जायल हो ।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया । गैरसायलान को जरिये नोटिस तलब किया गया । गैरसायलान की ओर से अधिवक्ता ने जबाव पेश किया कि सायलान सभी कथन गलत व झूठे एव मनगढन्त है । गैरसायलाान पिता व पति जसमत उर्फ जस्सो को अपनी कोई खास जायल जरूरत नहीं थी बल्कि वह एक वेपरवाह व नशे व जुआ सट्टे का आदि था उसे उक्त आराजी का पी0एन0बी0 शाखा कामां में रहन होने पर कोई विधिक अधिकार बयनामा कराने का अधिकार नहीं था । सायलान ने उसे शराब के नशा कराकर दिनांक 5.12.2011 व 9.12.2011को बयनामा अपने वारिसान अर्थात गैरसायलान की बिना कोई सहमति के करा दिया । जब सायलान ने कथित बयनामाओं को हल्का पटवारी अपने नाम दाखिल खारिज दर्ज कराने को दिया तो सायलान के नाम राजस्व रिकार्ड में दाखिल खारिज दर्ज क्यों हो पाया बल्कि उक्त आराजी पिता /पिता जसराम उर्फ जस्सो की मृत्यु के बाद विरासतन गैरसायलान संख्या 1 लगायत 4 के नाम आई जो सही बैधानिक तरीके से आई है इस प्रकार सायलान का उक्त मुतनाजा से किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध नहीं है और ना ही इस वक्त मौके पर कब्जा काश्त सायलान का है । जिसके गैरसायलान रिकार्डेड खातेदार काबिज है इस प्रकार सायलान फर्जी बयनामा फर्जी बयनामा दिनांक 5.12.2011 व 9.12 2011 के आड में गैरसायलान के खिलाफ को हडपना चाहते हैं । इस प्रकार सायलान गैरसायलान के खिलाफ किसी प्रकार का अनुतोष पाने के अधिकारी नहीं है । गैरसायलान को उक्त आराजी जरिये विरासतनआई है जो पैत्रिक आराजी थी इस प्रकार गैरसायलान उक्त आराजी मुतनाजा के दर्ज रिकार्डेड खातेदार काश्तकार काबिज है । सायलान का कभी भी किसी प्रकार का आराजी से कोइ सम्बन्ध नहीं रहा है ना ही इस वक्त उक्त आराजी पर कब्जा व काश्त है । अतः प्रथम दृष्टया केस व सुविधा का सन्तुलन व अपूर्णीय क्षति गैरसायलान के पक्ष में साबित है । गैरसायलान आराजी मुतदाविया के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार काबिज आराजी है । प्रार्थना पत्र सायलान काबिले खारिजी के है ।

प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र को साबित करने के लिए जमाबन्दी सं0 2074–2077, 2070–73 फोटो प्रति क्षेत्रफल मिलान, नकल नामान्तकरण संख्या 1051, 1068, 1084, फोटो प्रति बयनामा जस्सो पुत्र भगवत गूर्जर साकिन घाटा तहसील कामां बनाम प्रार्थीगण दिनांक 9.12.2011, बयनामा जसमत पुत्र भगवत जाति गूजर निवासी घाटा बनाम प्रार्थीगण दिनांक 05.12.2011, नकल नक्शा ट्रेस की फोटो प्रति सलग्न की है ।

अप्रार्थी की ओर से जमाबन्दी सं0 2074–2077 की नकल पेश की है । और कोई दस्तावेज शामिल नहीं किये गये है ।

हमने पत्रावली का उभयपक्षकारान की बहस सुनी प्रार्थी अधिवक्ता ने अपने प्रार्थना पत्र मे लिखित तथ्यों को दोहराते हुए कहा कि आराजी नम्बर 214/0.18, 222/2.18 कुल किता 2 रकवा 2.36 हैक्टर वाके ग्राम पल्ला तहसील कामां में स्थित है । हाल खसरा नम्बर 214/0.185, 222/2.18 पूर्व के साविक आराजी खसरा नम्बर 180/2.36 हैक्टर के रकवा से बनाये गये है । जिसमें पिता व पति अप्रार्थीगण जसमत उर्फ जस्सो 1/2 हिस्सा का रिकार्डेड खातेदार काश्तकार काबिज चला आ रहा था । जिसे 1/2 हिस्सा पी0एन0बी0 शाखा रहन रखा था । जिसे अप्रार्थीगण ने अपने 1/2 हिस्सा को रहनमुक्त कराकर अपनी खास जरूरत की पूर्ति के उद्देश्य से अपने 1/2 हिस्सा में से 1/3 हिस्सा को वा मुवलिग पांच लाख वियालीस हजार आठ सौ में व 1/6 हिस्सा को दो लाख इकहतर हजार चार सौ रूप्या में प्रार्थीगण को वहिस्सा बराबर बेचान कर दिया । जिसका बयनामा दिनांक 9.12.2011को प्रार्थीगण के पक्ष में बाहिस्सा कराकर तहरीर कराकर तस्दीक करा दिये । इस प्रकार प्रार्थीगण आराजी मुत0 के 1/2 हिस्सा वहैसियत रिकार्डेड खातेदार काश्तकार काबिज चले आ रहे है । अप्रार्थीगण जसमत उर्फ जस्सो ने राजस्व कर्मचारियों व सम्बन्धित पटवारी हल्का के साज कर आराजी मुत0 में से 1/2 हिस्सा के जरिये रजिस्टर्ड बयनामा प्रार्थीगण को बेचान करने के बाद कतई गलत खिलाफ कानून खिलाफ बयनामा जरिये इ0न0 1068 से प्रतिवादी नं0 6 के रहन कर दिया । जिसके कारण राजस्व कर्मचारियों द्वारा राजस्व रिकार्ड म आराजी मुत0 के 1/2 हिस्सा पर जरिये रजिस्टर्ड बयनामा प्रार्थीगण को वाहिस्सा बराबर खातेदार काश्तकार दर्ज करने के बजाय पहले जसमत उर्फ जस्सो को व उसके गुजर जाने के बाद विरासतन अप्रार्थी संख्या 1, 2, 3, 4 के नाम कतई गलत खिलाफ कानून खिलाफ रजिस्टर्ड बयनामा दर्ज किया जा

उपखण्ड अधिकारी
[illegible]

रहा है । जिसकी जानकारी पटवारी हल्का से नकल जमाबन्दी लेने पर हुई । जिससे प्रार्थीगण को सख्त हक तलफी है । जिसका नाजायज फायदा उठाने की गरज से अप्रार्थीगण आराजी मुत0 के 1/2 हिस्सा को तुरन्त प्रभाव से रहनवय मुन्तकिल राजस्व रिकार्ड व मौके की स्थिति में परिवर्तन कराकर प्रार्थीगण को उनके शन्तिपूर्ण कब्जे काश्त से जबरन बेदखल कर नाजायज कब्जा करने के फिराक में है । जिससे प्रार्थीयान का भारी क्षति होने की सभावना है । अप्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा जबाव में लिखित तथ्यों को दोहराया तथा आराजी को पैत्रिक होना बताया है । विरासतन के आधार पर दाखिल खारिज दर्ज होना भी बताया है । बयनामा को फर्जी होने का जिक किया है । दस्तावेजों के अवलोकन से ज्ञात है कि बयनामा गैरसायलान के पिता द्वारा कराये गये है । इसलिए इस न्यायालय द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई । प्रथम दृष्टया सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के हक में प्रतीत होता है ।

अतः आदेश है कि इस न्यायालय द्वारा जारी दिनांक 28.4.2022 प्रार्थना पत्र 212 अस्थाई निषेधाज्ञा पत्र को फैसला होने तक पुष्ट किया जाता है । प्रकरण नम्बर से कम किया जाकर फैसल शुमार होकर बाद तकमील तामील दाखिल दफतर हो ।

(सुनील कुमार झिगोनिया)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, कामां (डीग)